बिहार विधान परिषद   दैनिक विवरणिका

संख्या- 11   सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 14.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.40 अपराह्न तक

1. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बिहार राज्य में बढ़ते अपराध के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने भी किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में पोस्टर लहराते हुए आकर नारेबाजी करने लगे। आसन के अनुरोध पर कुछ समय के बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

2. आसन का नियमन

माननीय सदस्य, डा. रणबीर नन्दन के अनुरोध पर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि नियमावली में सब लिखा हुआ है, सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की जानकारी है।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-23, 87, 88, 89 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 91, 92, 93, 94 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 90 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ-23 पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि बीच में टोका-टोकी करने वाले और बिना अनुमति के बोलने वाले माननीय सदस्यों की बात कार्यवाही में नहीं आएगी।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 87 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों के आवास के पास भी गंदगी रहती है और मैंने भी जब सत्र चलने वाला था तो आपसे कहा था कि जब सत्र चल रहा है तो कम से कम जहां माननीय सदस्यों का आवास है, जहां वे रहते हैं, वहां की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 88 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सतीश बाबू, चलते सत्र में आपके प्रश्न पर जांच कराकर उत्तर दे दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, ऐसा माननीय मंत्री ने कहा।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-42, ब-111, ब-120, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 221, 222, 224, 225, 226 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 215, 216, 217, 218, 220, 223 स्थगित हुए।

प्रश्न संख्या- 214, 227, 228 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 229, 230 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- अ-42 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि यह प्रश्न ही भेग है। माननीय सदस्य, हमारे सचिवालय से यह बात पूछ लीजिए कि कहां प्रश्न उठाएं।

तारांकित प्रश्न संख्या– 219 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री को आवेदन लगा करके लिख करके दे दीजिए।

तारांकित प्रश्न संख्या- 222 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो गंभीर प्रश्न है, उसका संज्ञान लेंगे और वहां सफाई कराएंगे। माननीय मंत्री जी, इसको गंभीरता से लीजिए, इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि जो काम है उसको मैं प्राथमिकता देकर करवाऊंगा और इसको 15 दिन के अंदर करा दूंगा।

4. आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन को सूचित किया कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सारे काम एक ही व्यक्ति के द्वारा कराये जा रहे हैं, इसपर रोक लगाई जाए।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री राधाचरण साह
3. श्री गुलाम रसूल

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, सरकार को दे दीजिए।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री गुलाम रसूल द्वारा पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम वार्ड नं.-5 के समनपुरा (राजाबाजार) स्थित पारस हॉस्पीटल से लेकर संगम अपार्टमेंट तक सड़क पुनर्निर्माण किये जाने एवं वाटर सप्लाई के कटे-फटे पाईपों को बदलने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा भोजपुर जिला के पीरो निवासी सी.आर.पी.एफ. के शहीद जवान मो. मोजाहिद खान के गांव के विद्यालय का नाम 'मोजाहिद खान विद्यालय' करने एवं पीरो में इनकी आदमकद मूर्त्ति लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा राजगीर कुंड के आसपास खाली जमीन पर सरकारी राशि से दुकान बनाकर फुटपाथी विक्रेताओं को स्थायी रूप से आवंटित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा प्राकृतिक आपदा से मरने वाले मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा चार लाख रुपये सहयोग राशि अनुदान के रूप में देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट जाना।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री दिनेश चन्द्र यादव ने लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

5. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा राज्य में चिह्नित सभी पर्यटन स्थलों को विकसित कर संरक्षित किये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

7. **ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य**

1. माननीय सदस्य, श्री सुनील कुमार सिंह के दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड स्थित शिलापट्ट पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित करने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला में खासमहल एवं जिला परिषद् की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री रामनारायण मंडल ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह के जिला परिषदों की परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में आवंटित राशि को लंबित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर दिनांक 19.3.2018 को सरकार का वक्तव्य होगा।

4. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार के मधुबनी जिला में ग्राम रक्षा रक्षा दल के सदस्यों की नियुक्ति एवं बुनियादी सुविधा से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर दिनांक 19.3.2018 को सरकार का वक्तव्य होगा।

(अंतराल)

8. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

(नगर विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विधि, आपदा प्रबंधन)

आसन का अनुरोध

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि जो भी माननीय सदस्य वक्ता के रूप में हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि समय का ख्याल रखें ।

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
2. श्री कमर आलम
3. डा. सूरजनंदन प्रसाद
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. श्री संजय प्रसाद
6. श्री नीरज कुमार

विभागवार सामान्य वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया –

1. श्री विनोद नारायण झा, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(माननीय मंत्री के भाषण के बीच ही राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया।

2. श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग (माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के अतिरिक्त शेष लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।)

3. श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग ने अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

4. श्री दिनेश चन्द्र यादव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ने अपना बजट भाषण पुस्तिका सदन पटल पर रखा।

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री सोनेलाल मेहता
4. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
5. प्रो. नवल किशोर यादव
6. श्री राधाचरण साह
7. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
8. श्री सी.पी. सिन्हा

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 15.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

14/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 450 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 14.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
14-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।